

## कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0(निरस्तीकरण)/2016, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 01, 2016

### आदेश

श्री वी0के0 शुक्ल, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, आगरा द्वारा फैंक्स से प्रेषित पत्र संख्या 157/16 दिनांक 30.11.16, जिसके साथ दिनांक 21.12.16 से 04.01.17 तक की अवधि के लिए अवकाश यात्रा हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करते हुए माह दिसम्बर 2016 में दिनांक 19.12.16 से 22.12.16 तक की अवधि के लिए आगरा में गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी, पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश संख्या 2662/16 दिनांक 23.11.16 के माध्यम से सदस्य पीठ-1 आगरा व सदस्य पीठ-2 आगरा को सम्मिलित कर दिनांक 19.12.16 से 22.12.16 तक की अवधि के लिए आगरा में गठित युगल पीठ एतद्द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित को तदनुसार सूचित किया जाये।

Sd/- 01/12/16  
(रेणु अग्रवाल)

एच.जे.एस.


प्र0अध्यक्ष,  
वाणिज्यकर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0(निरस्तीकरण)/2681/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण पीठ-1 व पीठ-2 आगरा।
2. राज्य प्रतिनिधि (युगल पीठ) पीठ-1 व 2 आगरा।
3. वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
4. अध्यक्ष/सचिव वाणिज्यकर बार एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

  
प्र0निबन्धक  
वाणिज्यकर अधिकरण  
उ0प्र0, लखनऊ।